

संरक्षित क्षेत्रों में संकट में गदिध

प्रलम्ब के लिये:

[वन्यजीव \(संरक्षण\) अधिनियम, 1972](#), [वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन \(CITES\)](#), [प्रकृतिसंरक्षण के लिये अंतरराष्ट्रीय संघ \(IUCN\)](#), [कीटनाशक वषाकृता](#)

मेन्स के लिये:

गदिधों की आबादी में गिरावट के पीछे की स्थिति और कारण, गदिधों की घटती आबादी के मुद्दे से निपटने के लिये सरकार की पहल, वैश्विक वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के साथ भारत का सहयोग।

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

चर्चा में क्यों?

हाल के अध्ययनों से पता चला है कि [संरक्षित क्षेत्रों में भी गदिध डाईकलोफेनाक](#) जैसी बषिक्त दवाओं से सुरक्षित नहीं हैं। वैज्ञानिकों ने वर्ष 2018 से 2022 के बीच छह राज्यों (हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल) के संरक्षित और गैर-संरक्षित दोनों क्षेत्रों में गदिधों के घोंसलों तथा बसेरों के आस-पास से इनके मल के नमूने एकत्र किये थे। इन नमूनों का [डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी DNA](#) विश्लेषण करके गदिधों के आहार का अध्ययन किया गया था। एकत्र किये गए इन नमूनों से गदिध प्रजातियों और उनके खाने की आदतों की पहचान करने में मदद मिली।

- गदिध भोजन की तलाश करते समय लंबी दूरी तय करने की अपनी अवशिवसनीय क्षमता के लिये जाने जाते हैं। ये वशिल चारागाह क्षेत्र उन्हें पड़ोसी देशों से [डाईकलोफेनाक](#) के संपर्क में भी ला सकते हैं, जहाँ यह दवा अभी भी उपयोग में हो सकती है।

भारत में गदिधों की प्रजातियों से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं?

■ परिचय:

- वे [वन्यजीवों](#) की बीमारियों को नियंत्रण में रखने में भी बहुमूल्य भूमिका निभाते हैं।
- ये बड़े अपमार्जक (Scavenger) पक्षियों की **22 प्रजातियों में से एक हैं** जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं।
- ये प्रकृति के अपशिष्ट संग्रहकर्ता के रूप में एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और पर्यावरण को अपशिष्ट से मुक्त रखने में सहायता करते हैं।
- **भारत, गदिधों की 9 प्रजातियों** जैसे ओरिएंटल व्हाइट-बैकड, लॉन्ग-बिल्ड, स्लेंडर-बिल्ड, हिमालयन, रेड-हेडेड, इज़िपिशियन, बयिर्डेड, सनिरयिस और यूरेशियन ग्रफिऑन का निवास स्थान है।

■ आबादी में कमी:

- दक्षिण एशियाई देशों, विशेषकर **भारत, पाकिस्तान और नेपाल** में गदिधों की आबादी में **उल्लेखनीय कमी** देखी गई है।
- इनकी संख्या में कमी का मुख्य कारण 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में पशुओं के उपचार में दर्द निवारक दवा [डाईकलोफेनाक](#) का व्यापक उपयोग था।
- इसके परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में **आबादी में 97% से अधिक की कमी** देखी गई, जिससे पारिस्थितिक संकट उत्पन्न हुआ।

■ पारिस्थितिकी तंत्र में गदिधों की भूमिका:

- **अपघटन और पोषक चक्रण:**
 - गदिध कुशलतापूर्वक मृत जानवरों का माँस खाते हैं, जिससे **शवों के ढेर जमा होने और उन्हें सड़ने से बचाया जा सकता है।**
 - यह कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने और पोषक तत्वों को मृदा में वापस लाने में सहायता करता है, जिससे पौधों की वृद्धि एवं पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र स्वास्थ्य को लाभ होता है।
- **रोग निवारण:**
 - **गदिधों का पेट अत्यधिक अम्लीय पाचन रस के साथ अवशिवसनीय रूप से मज़बूत होता है।** यह शक्तिशाली एसिड बैक्टीरिया और वायरस को मार सकता है जो एंथ्रेक्स, रेबीज़ तथा बोटुलिज़्म जैसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं, इस प्रकार **रोगजनकों**

- के लिये वास्तविक "मृत-अंत" के रूप में कार्य करते हैं।
- संकेतक प्रजाति:
 - गदिध अपने पर्यावरण में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। गदियों की आबादी में कमी प्रदूषण या खाद्य स्रोतों की कमी जैसी व्यापक पारस्थितिक समस्या का संकेतक हो सकती है।



गदियों की आबादी में कमी के पीछे क्या कारण हैं?

- औषध वशिकृता:
 - 20वीं सदी के अंत में **डाईक्लोफेनाक**, **केटोप्रोफेन** और **एसेक्लोफेनाक** जैसी दर्द नवारक दवाओं के उपयोग से गदियों की आबादी के लिये वनिशकारी परिणाम सामने आए।
 - आमतौर पर पशुओं में दर्द और सूजन का इलाज करने के लिये इस्तेमाल की जाने वाली ये दवाएँ **गदियों** के लिये वषिली होती हैं, जब ये इलाज के दौरान उपयोग की जाती हैं, क्योंकि गदिध जानवरों के शवों को खाते हैं।
 - विशेष रूप से **डाईक्लोफेनाक** गदियों में घातक गुरदे की वफिलता का कारण बनता है और केटोप्रोफेन व एसेक्लोफेनाक के साथ इसी तरह के प्रभावों का दस्तावेज़ीकरण किया गया है।
- द्वितीयक वशिकृता:

- गदिध सफाईकर्म होते हैं, जो अक्सर **कीटनाशकों या अन्य वषिकृत पदार्थों** से दूषित शवों का सेवन करते हैं।
 - सीसे (लेड) के गोला-बारूद से शिकार किये गए जानवरों के शवों को खाने वाले गदिध **घातक लेड वषिकृतता** का शिकार हो सकते हैं।
- यह "द्वितीयक वषिकृतता" एक महत्वपूर्ण खतरा उत्पन्न करती है, जिससे उनकी आबादी में और कमी आती है।
- **पर्यावास क्षति:**
 - शहरीकरण, **वनों की कटाई (Deforestation)** और कृषिविस्तार के कारण निवास स्थान का नुकसान हुआ है, गदिधों के घोंसले के स्थान, बसेरा क्षेत्र एवं खाद्य स्रोत नष्ट हो गए हैं। उपयुक्त आवास की कमी उनके अस्तित्व में बाधा उत्पन्न करती है।
- **बुनियादी ढाँचे के साथ टकराव:**
 - गदिध वदियुत लाइनों, पवन टरबाइनों और अन्य मानव निर्मित संरचनाओं से टकराने के प्रतिसंवेदनशील होते हैं, जिससे चोटें या मौतें होती हैं तथा उनकी आबादी में कमी आती है।
- **अवैध शिकार और शिकार:**
 - कुछ क्षेत्रों में, सांस्कृतिक मान्यताओं या **अवैध वन्यजीव व्यापार के कारण गदिधों** का शिकार किया जाता है, जिससे जीवित रहने के लिये उनका संघर्ष और बढ़ जाता है।
- **रोगों का प्रकोप:**
 - **एवयिन पॉक्स व एवयिन फ्लू** जैसी बीमारियाँ भी गदिधों की आबादी पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती हैं, जिससे इनकी आबादी में और कमी आ सकती है।

भारत द्वारा किये गये गदिध संरक्षण प्रयास क्या हैं?

- **नशीली दवाओं के खतरे को समाप्त करना:**
 - **डाईक्लोफेनाक पर प्रतिबंध:** **डाईक्लोफेनाक** के विनाशकारी प्रभाव को स्वीकार करते हुए, **भारत ने 2006 में पशु चिकित्सा** में इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया।
 - उपचारित पशुओं के शवों को खाने के कारण होने वाली कडिनी की वफिलता से गदिधों को बचाने की दशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम था।
 - **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** ने देश में गदिधों के संरक्षण के लिये **गदिध कार्य योजना 2020-25** का शुभारंभ किया है।
 - यह डाईक्लोफेनाक का **न्यूनतम उपयोग सुनिश्चित करेगा** और गदिधों के मुख्य भोजन, मवेशियों के शवों को **वर्षिला** होने से बचाएगा।
 - **प्रतिबंध का विस्तार:** अगस्त 2023 में भारत ने गदिधों के लिये संभावित खतरे को स्वीकार करते हुए **पशु चिकित्सा प्रयोजन हेतु केटोप्रोफेन और एसकिलोफेनिक के उपयोग पर प्रतिबंध** लगा दिया।
- **बंदी प्रजनन (Captive Breeding) और पुनरुत्पादन:**
 - **गदिध संरक्षण प्रजनन केंद्र (VCBC):** भारत ने VCBC का एक नेटवर्क स्थापित किया, जिससे **सर्वप्रथम वर्ष 2001 में पजौर, हरियाणा में** स्थापित किया गया था।
 - ये केंद्र **लुप्तप्राय गदिध प्रजातियों के बंदी प्रजनन पर ध्यान केंद्रित** करते हैं, जिससे वनों में इनकी स्वस्थ आबादी बढ़ाने के लिये एक सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाता है।
 - वर्तमान में **भारत में नौ गदिध संरक्षण और प्रजनन केंद्र (VCBC)** हैं, जिनमें से तीन सीधे **बॉम्बे नेचुरल हस्ट्री सोसाइटी (BNHS)** द्वारा प्रशासित हैं।
- **गदिधों का बसेरा:**
 - झारखंड में गदिधों की घटती आबादी को संरक्षित करने के सक्रिय प्रयास में, कोडरमा ज़िले में एक 'गदिधों का बसेरा (Vulture Restaurant)' स्थापित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य गदिधों पर पशुधन दवाओं (Livestock Drug), विशेष रूप से डाईक्लोफेनाक के प्रतिकूल प्रभाव को दूर करना है।
- **अन्य गदिध संरक्षण पहलें:**
 - गदिध प्रजातियों को **वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास (IDWH)** के 'प्रजातिपुनर्प्राप्ति कार्यक्रम' के तहत संरक्षित किया जाता है।
 - **गदिध संरक्षण क्षेत्र कार्यक्रम** को देश के आठ अलग-अलग स्थानों पर कार्यान्वित किया जा रहा है जहाँ गदिधों की आबादी मौजूद थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में दो स्थान शामिल हैं।
 - **दाढ़ी वाले, लंबी चौंच वाले, पतले चौंच वाले और सफेद पीठ वाले** गदिध **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972** की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित हैं। जबकि बाकी को 'अनुसूची IV' के तहत संरक्षित किया गया है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:**
 - **SAVE** (एशिया के गदिधों को विलुप्त होने से बचाना): प्रवृत्त, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का संघ, जो दक्षिण एशिया के गदिधों को दुर्दशा से बचाने के लिये संरक्षण, अभियान व फंडिंग जैसी गतिविधियों की देखरेख और समन्वय करने के लिये बनाया गया है।

अमेरिकी बाल्ड ईगल पर केस स्टडी:

- **अमेरिकी बाल्ड ईगल** लचीलेपन का एक प्रतीक है।
- इसकी आबादी में एक बार **डाइक्लोरोडिफेनिलिट्राइक्लोरोइथेन (DDT)** के **विनाशकारी प्रभावों** के कारण काफी गिरावट आई थी, जो एक शक्तिशाली कीटनाशक था, जिसने **गदिधों के प्रजनन को बाधित** किया था।
 - DDT के परणामस्वरूप मादा बाज़ (ईगल) **बेहद पतले छलिके वाले अंडे** देती हैं, जिससे वे **घोंसला नहीं बना पाते** हैं।

